

हाथरस: फैक्ट्री में अवैध रूप से बनता था दर्द नाशक तेल, अधिकारियों ने की सील

Alok Bhadouria | LipiUpdated: 13 Jan 2021, 03:06:00 PM

लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रूफ भी फैक्ट्री संचालक नहीं दिखा सका। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री मालिक जिस ब्रांड का तेल बना रहे थे उसका कॉपीराइट का प्रमाणपत्र भी नहीं दिखा पाए।



सील की गई फैक्ट्री

हाथरस

यूपी के जनपद हाथरस में दर्द नाशक तेल बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री सील कर दी गई। फैक्ट्री के बारे में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट प्रेमप्रकाश मीणा को जानकारी मिली कि इस फैक्ट्री में वर्षों से अवैध रूप से नकली दर्द नाशक तेल बनाया जा रहा है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जॉइंट मैजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री पर छापेमारी की गई।

जनपद के मोहल्ला रमनपुर में पीपल चौक पर IDC मास्टर आयल नामक दर्द नाशक तेल बनाने की फैक्ट्री संचालित थी। संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के दौरान संचालित फैक्ट्री में दर्द नाशक तेल बनता हुआ पाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में बना हुआ तेल और उसको बनाने का कच्चा माल बरामद हुआ। जिसका लाइसेंस भी वर्ष 2014 तक ही मान्य था।

लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रूफ भी फैक्ट्री संचालक नहीं दिखा सका। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री मालिक जिस ब्रांड का तेल बना रहे थे उसका कॉपीराइट का प्रमाणपत्र भी नहीं दिखा पाए। फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से बन रहे नकली तेल की सप्लाई दिल्ली और आसपास के जिलों में बताई जाती है।

जॉइंट मैजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री मालिक को वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। अगर सात दिनों में आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो फैक्ट्री को स्थाई रूप से सील कर दिया जाएगा और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/others/illegal-oil-making-factory-sealed-in-hathras/articleshow/80245845.cms>